

माननीय विद्वत् परिषद्  
की 53वीं बैठक का कार्यवृत्त



स्थान : कुलपति सभा कक्ष  
दिनांक : 02 जनवरी, 2015  
समय : प्रातः : 11.00 बजे



कुलसचिव कार्यालय  
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,  
मेरठ- 250 110

दिनांक 02 जनवरी, 2015 को कुलपति सभा कक्ष में माननीय विद्वत परिषद की 53वीं बैठक, आयोजित की गयी, कार्यवृत्त सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:-


### उपस्थिति:


1	प्रो० एच० एस० गौड	अध्यक्ष
2	श्री सत्येन्द्र कुमार	सदस्य
3	डा० एन०एस० राना	सदस्य
4	डा० वाई० पी० सिंह	सदस्य
5	डा० अशोक कुमार	सदस्य
6	डा० रघुवीर सिंह	सदस्य
7	डा० एस०के० भटनागर	सदस्य
8	डा० अनिल सिरोही	सदस्य
9	डा० सत्य प्रकाश	सदस्य
10	डा० राजबीर सिंह	सदस्य
11	डा० पूरन चन्द	सदस्य
12	डा० रामजी सिंह	सदस्य
13	डा० एम०के० कौशिक	सदस्य
14	डा० बी०पी० ध्यानी	सदस्य
15	डा० नाजिम अली	सदस्य
16	डा० आर० कुमार	सदस्य
17	डा० राजीव सिंह	सदस्य
18	डा० आरती भट्टेले	सदस्य
19	डा० एस० पी० यादव	सदस्य
20	डा० वैशाली	सदस्य
21	डा० पुरुषोत्तम	सदस्य
22	डा० पंकज चौहान	सदस्य
23	डा० प्रेम सागर मौर्या	सदस्य
24	डा० अतुल गुप्ता	सदस्य
25	डा० सी० एस० प्रसाद	सदस्य-सचिव

### अनुपस्थिति:

1	प्रो० शमसेर	सदस्य
2	डा० पंकज कुमार	सदस्य

प्रारम्भ में कुलसचिव/सचिव विद्वत परिषद ने माननीय अध्यक्ष विद्वत परिषद एवं सम्मानित सभी सदस्यों का 53वीं बैठक में स्वागत किया तत्पश्चात् माननीय कुलपति/अध्यक्ष, विद्वत परिषद की अनुमति प्राप्त कर बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

  
कुलसचिव/सदस्य सचिव  
विद्वत परिषद

  
कुलपति/अध्यक्ष  
विद्वत परिषद

संकल्प संख्या-1

दिनांक 26 जुलाई, 2014 को माननीय विद्वत परिषद की 52वीं बैठक की कार्यवाही का पुष्टीकरण।

संकल्प सं०	संकल्प	अनुपालन आख्या
1	माननीय विद्वत परिषद की 52वीं बैठक दिनांक 26 जुलाई, 2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि कर दी गई।
2	Proposal for ISSN/ISBN Publications in place of NAAS publication in the subject of English.	गठित समिति की कार्यवाही पर माननीय विद्वत परिषद ने अंग्रेजी विषय ISBN/ISSN में नम्बर युक्त प्रकाशनों पर एक अंक प्रति लेख दिया जाने पर अनुमोदन किया।
3	संविदा के आधार पर अध्यापकों के लिए अधिकतम रु. 25,000/- (रु. पच्चीस हजार मात्र) प्रतिमाह खर्च किये जाने हेतु प्रस्ताव।	कार्यवाही: उत्तर प्रदेश शासन को पत्र प्रेषित कर अग्रिम कार्यवाही किये जाने पर निर्णय लिया गया। कार्यवाही :अधिष्ठाता(जैव प्रौद्योगिकी/ कृषि)
4	IVth Dean Committee की Recommendation course RAWE को gradial करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	पूर्व की भाँति ही व्यवस्था रखने पर माननीय विद्वत परिषद ने निर्णय लिया।

**संकल्प सं०-02 Proposal for approval for the accreditation of CIRC, Meerut for teaching B.V.Sc. & A.H. students.**

माननीय विद्वत परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।

कार्यवाही अधिष्ठाता वेटनरी

**संकल्प सं० 03 Proposal for final report of the committee to review essential qualification and degree nomenclature of various programme running in agricultural universities.**

**संकल्प सं०-04 Proposal for create 02 seats under supernumerary quota in all recognized higher education institutions for students from Jammu & Kashmir.**

माननीय विद्वत परिषद द्वारा संकल्प संख्या 03 व 04 को विचार एवं निर्णय हेतु सर्वसम्मति से स्टैयरिंग कमिटी की बैठक में निर्णय हेतु अनुमोदन किया गया। कार्यवाही कुलसचिव

**संकल्प सं०-05 Proposal for Equivalence of B.Tech. and M.Tech. NIFTEM Degrees in the discipline of Food Science/ Food Technology and Food Engineering.**

माननीय विद्वत परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2015 के लिए होने वाली स्टैयरिंग समिति में प्रस्ताव चर्चा हेतु रखा जाये।

कार्यवाही कुलसचिव

संकल्प सं0-06 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0), नई दिल्ली द्वारा स्नातक पाठ्यक्रमों में निम्न कोर्सों को **Optional** तथा **Compulsory** पढाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

- 1 Disaster Management (Optional Paper)
- 2 Environmental Studies (Compulsory implementation of six month core module syllabus)

माननीय विद्वत परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया कि जब तक Vth Dean Committee की Recommendation नहीं आती है तब तक एक या दो व्याख्यान प्रत्येक स्नातक पाठ्यक्रम में रखे जाये।

कार्यवाही

कुलसचिव

संकल्प सं0-07 **Proposal for condensing the semester of B.V.Sc. A.H. Degree Programme.**

माननीय विद्वत परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।

कार्यवाही कुलसचिव/अधिष्ठात वेटनरी

संकल्प सं0-08 पार्ट टाईम रूप में अपने सभी विभागीय /आवंटित कार्यों को करते हुए उच्च शिक्षा प्राप्त करने की समयावधि का अनुभव के सम्बंध में प्रस्ताव।

माननीय विद्वत परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव पर यह निर्णय लेते हुये अनुमोदित किया गया कि पार्ट टाईम रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में जो अवधि स्वीकृत, उसका आधा भाग ही अनुभव के रूप में माना जायेगा।

कार्यवाही कुलसचिव

संकल्प सं0-09 विश्वविद्यालय के शिक्षकों/वैज्ञानिकों की पदोन्नति हेतु यूजीसी द्वारा निर्गत नियमन-2010 द्वारा निर्धारित संशोधित कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम एवं उसके अधीन पदोन्नति हेतु प्रस्ताव।

माननीय विद्वत परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया कि सभी पदोन्नति उ0प्र0 शासन के शासनादेश सख्या 2052/67/कृशिअ-14-1500(16) 109 दिनांक 30 सितम्बर 2014 के अनुसार की जायेगी। पदोन्नति के लिए सभी नियम/प्रारूप/चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के मान्य होंगे एवं उन्हीं के अनुसार पदोन्नति की प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी। इस सम्बन्ध उपरोक्त शासनादेश के अनुसार संशोधित कैरियर एडवांसमेंट स्कीम को दिनांक 30.06.2010 से प्रभावी करने की संस्तुति की गयी है। दिनांक 30.06.2010 तक सभी प्रकार की पदोन्नति (पुरानी एवं नई स्कीम से आच्छादित) अंक प्रणाली से नहीं की जायेगी एवं दिनांक 30.06.2010 से पश्चात सभी पदोन्नति अंक प्रणाली के माध्यम से की जायेगी।

कार्यवाही कुलसचिव

संकल्प सं0-10 विश्वविद्यालय में क्रय प्रक्रिया व आडिट कराने के सम्बन्ध में वैज्ञानिक/इन्डेंटर को स्पष्ट निर्देश व आडिट की जानकारी के अभाव में प्रक्रिया विलम्बित व जटिल रहती है। अतः उक्त नियमों की उचित व्याख्या व आडिट की जिम्मेदारी पर एक स्पष्ट नीति बनाने की आवश्यकता है।

माननीय विद्वत परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया कि वित्त नियंत्रक कार्यालय द्वारा एक लेखाधिकारी को केन्द्रीय क्रय भण्डार अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जायेगा, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय की सभी क्रय व आडिट प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।

कार्यवाही वित्त नियंत्रक

**संकल्प सं०-11 Proposal for approval of syllabus in the course of 'Statistical Methods for Social Science' offered at PG level in the College of Agriculture.**

माननीय विद्वत परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

कार्यवाही सम्बन्धित विभागाध्यक्ष

**संकल्प सं०-12** विधान सभा के तृतीय संत्र-2014 के 1ले गुरुवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं०-64 का उत्तरालेख एवं अनुपूरक कृषि विश्वविद्यालयों में परास्नातक पाठ्यक्रम में बी०एस०सी० बायोलॉजी उपाधिधारक छात्र/छात्राओं को पूर्व की भौति प्रवेश व्यवस्था करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

माननीय विद्वत परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव को विचार एवं निर्णय हेतु सर्वसम्मति से स्टैयरिंग कमेटी की बैठक में निर्णय हेतु अनुमोदन किया गया। कार्यवाही कुलसचिव

**संकल्प सं०-13** राजकीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा सर्टिफिकेटो को विश्वविद्यालय के स्नातक कोर्सों में प्रवेश के सन्दर्भ में प्रस्ताव।

माननीय विद्वत परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2015 के लिए होने वाली स्टैयरिंग समिति में प्रस्ताव चर्चा हेतु रखा जाये।

कार्यवाही कुलसचिव

**संकल्प सं०-14** उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिक प्रवेश परीक्षा 2015 के माध्यम से कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सीटों की संख्या तथा प्रवेश अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

Sl. No	Programmes	Free / Normal	Paid	NRI	Total	Minimum Educational Eligibility
<b>UNDER GRADUATE PROGRAMMES:-</b>						
1	B.Sc. (Hons.) Agriculture	74	30	15	119	Intermediate in Agriculture Sci. /PCB/PCM/PCMB
2	B.Tech. (Biotechnology)	74	30	15	119	Intermediate in Agriculture Science / PCB/PCMB/PCM
3	B. V. Sc. & A. H.	30	20	10	60	Intermediate in PCB/ PCMB with English as a subject alongwith 50% aggregate marks in Physics, Chemistry, Biology and English for General Category and 40% for OBC/SC/ST
	<b>Total</b>	<b>178</b>	<b>80</b>	<b>40</b>	<b>298</b>	-
<b>POST GRADUATE PROGRAMMES:-</b>						
1	Agril. Biotechnology	6	2	2	10	B.Sc.(Ag.)/B.Sc. Ag. (Hons.)/B.Sc.(Hort.) (10+2+4 years degree) / B.Tech.(Biotech.)
2	Agricultural Economics & Management	2	1	1	4	B.Sc.(Ag.)/B.Sc. Ag. (Hons.) (10+2+4 years degree)
3	Agricultural Extension	4	2	2	8	B.Sc.(Ag.)/B.Sc. Ag. (Hons.) / B.Sc.(Hort.) /B.F.Sc /B.Sc. (Forestry) 10+2+4 years
4	Agronomy	8	2	2	12	B.Sc.(Ag.)/B.Sc. Ag. (Hons.) (10+2+4 years degree)

5	Animal Husbandry	4	2	2	8	B.Sc.(Ag.)/B.Sc. Ag. (Hons.) (10+2+4 years degree)
6	Entomology	6	2	2	10	B.Sc.(Ag.)/B.Sc. Ag. (Hons.) / B.Sc.(Hort.) /B.Sc. (Forestry) (10+2+4 years degree)
7	Genetics & Plant Breeding	7	3	3	13	B.Sc.(Ag.)/B.Sc. Ag. (Hons.) (10+2+4 years degree)
8	Horticulture	7	2	2	11	B.Sc.(Ag.)/B.Sc. Ag. (Hons.)/ B.Sc. Hort. (10+2+4 years degree)
9	Plant Pathology	6	2	2	10	B.Sc.(Ag.)/B.Sc. Ag. (Hons.)/B.Sc.(Hort.) /B.Sc. (Forestry) (10+2+4 years degree)
10	Soil Science	6	2	2	10	B.Sc.(Ag.)/B.Sc. Ag. (Hons.) (10+2+4 years degree)
	<b>Total</b>	<b>56</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>96</b>	
11	M. Tech. (Agri. Process and Food Engineering)	8	2	2	12	Bachelor degree in Agril. Engg. / Mechanical Engg. / B.Tech.(Food Tech.) /B.Tech.(Dairy Tech.)
12	M.Tech. / M.Sc. (Biotechnology)	18	4	2	24	B.Tech. (Biotechnology)/B.Sc. (Biotechnology), <b>B.Sc. (Biology) candidates are not eligible.</b>
	<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>36</b>	

**Ph. D. PROGRAMMES:-**

1	Agril Biotechnology	6	2	2	10	M.Sc. Ag. Biotechnology/ M.Sc.Biotechnology/M.Tech. (Biotechnology)
2	Agricultural Extension	3	2	2	7	M.Sc. (Ag.) in Agril. Extension / Extension Education/Agril. Communication
3	Agronomy	5	2	2	9	M.Sc. (Ag.) Agronomy
4	Animal Husbandry	3	2	2	7	M.Sc. (Ag.) in Animal Husbandry
5	Entomology	5	2	2	9	M.Sc. (Ag.) in Entomology, (M.Sc.(Ag.) in Plant Protection degree holders are not eligible)
6	Genetics & Plant Breeding	5	2	2	9	M. Sc.(Ag.) in Genetics & Plant Breeding
7	Horticulture	5	2	2	9	M. Sc.(Ag.) in Horticulture/ M.Sc.(Hort.)
8	Plant Pathology	5	2	2	9	M.Sc. (Ag.) in Plant Pathology, (M.Sc.(Ag.) in Plant Protection degree holders are not eligible)
9	Soil Science	5	2	2	9	M. Sc.(Ag.) in Soil Science & Agril. Chemistry / M.Sc. (Ag.) in Soil Science,
10	Agri. Process and Food Engineering	4	2	2	8	Master's degree in Agril. Engg. / Agril. Process & Food Engg./ Process & Food Engg /Mechanical Engg./ Food Biotech. Engg. /Post Harvest Engg. & Tech.
	<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>93</b>	

माननीय विद्वत परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया कि विभाग कृषि अर्थशास्त्र एवं प्रबंधन में मास्टर्स एवं पी-एचडी में सत्र 2015-16 में प्रवेश न लिये जाये।

कार्यवाही कुलसचिव

कुलसचिव/सदस्य सचिव  
विद्वत परिषद

कुलपति/अध्यक्ष  
विद्वत परिषद

संकल्प सं०-15 पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय में मास्टर्स पाठ्यक्रम को संचालन करने हेतु सीटों की संख्या एवं अर्हता निर्धारित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

Sl. No	Programmes	Free / Normal	Paid	NRI	Total	Minimum Educational Eligibility
<b>M.V.Sc. :-</b>						
1	Animal Genetics and Breeding	2	1	-	3	B.V.Sc. & A. H. with OGPA 5.50 (5.00 for SC/ST) out of 10. The candidates must be registered in VCI, New Delhi or State Veterinary Council
2	Veterinary Microbiology	2	1	-	3	-do-
3	Veterinary Pathology	2	1	-	3	-do-
4	Veterinary Physiology	2	1	-	3	-do-
5	Veterinary Biochemistry	2	1	-	3	-do-
	<b>Total</b>	10	5	-	15	

माननीय विद्वत परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव में दी गयी सीटों की संख्या एवं अर्हता अनुमोदन किया गया तथा प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया कि कृषि अर्थशास्त्र एवं प्रबंधन विभाग में पी-एच०डी० के सत्र 2015-16 में प्रवेश न लिये जाये।

कार्यवाही कुलसचिव

संकल्प सं०-16 आगामी दीक्षांत समारोह में मास्टर्स एवं पी०एच०डी० पाठ्यक्रम के छात्र/छात्राओं को पदक दिये जाने एवं पदक हेतु नियम परिनियम बनाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

माननीय विद्वत परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि आगामी दीक्षांत समारोह (सप्तम) को छोड़ कर भविष्य में होने वाले दीक्षांत समारोह में मास्टर्स एवं पी०एच०डी० पाठ्यक्रम के छात्र/छात्राओं को पदक दिये जाने एवं पदक हेतु नियम परिनियम बनाने के लिए एक समिति का अनुमोदन किया गया। समिति नियम परिनियम अतिशीघ्र नियम परिनियम बना कर माननीय विद्वत परिषद में विचार एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी।


अधिष्ठाता स्नातकोत्तर	अध्यक्ष
अधिष्ठाता कृषि	सदस्य
अधिष्ठाता जैव प्रौद्योगिकी	सदस्य
अधिष्ठाता वेटनरी	सदस्य
अधिष्ठाता छात्र कल्याण	सचिव


संकल्प सं०-17 विश्वविद्यालय में कार्यरत कार्मिकों के लिए सीधी भर्ती के माध्यम से विश्वविद्यालय की नियुक्तियों में आयु सीमा शिथिल करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय द्वारा जारी नियुक्ति संबंधी विज्ञापनों में विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों /अधिकारियों को नियुक्तियों में आयु सीमा को शिथिल करने के सम्बन्ध में शासनादेश सं० 2-ई.एम./2001-का-4-2013 दिनांक 27 अगस्त 2013 के अनुसार विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों में अध्ययन की प्रेरणा का विकास करने, अनुभवी एवं योग्य कर्मियों की उपलब्धता एवं उनके मनोबल में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा पदों के लिए आयोजित किये जाने वाले सीधी भर्ती (चयनों) में सम्मिलित होने के लिए विश्वविद्यालय के कर्मचारियों/अधिकारियों को अधिकतम आयुसीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान किये जाने का प्रस्ताव। उपरोक्त प्रस्ताव विश्वविद्यालय द्वारा भविष्य में होने वाले विज्ञापनों पर प्रभावी होंगे। उपरोक्त प्रस्ताव माननीय प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने की सहमति प्रदान करना चाहें।

माननीय विद्वत परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में कार्यरत कार्मिकों के लिए सीधी भर्ती के माध्यम से विश्वविद्यालय की नियुक्तियों में आयु सीमा शिथिल करने के लिये 05 वर्ष की छूट देने पर स्वीकृति दी गयी।

अंत में कुलसचिव/सचिव, माननीय विद्वत परिषद द्वारा अध्यक्ष महोदय व सभी उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद प्रेषित किया गया तदोपरान्त विद्वत परिषद की बैठक का समापन हुआ।

  
कुलसचिव/सदस्य सचिव  
विद्वत परिषद

  
कुलपति/अध्यक्ष  
विद्वत परिषद